



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062022-236905
CG-DL-E-29062022-236905

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460]
No. 460]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 29, 2022/ आषाढ़ 8, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 29, 2022/ASHADHA 8, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2022

सा. का. नि. 481(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्र सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

2. उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

3. आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ईमेल: comments-morth@gov.in पर भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... .. संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जाएगा।

(2) इन नियमों में अन्य के होते हुए भी, ये राजपत्र में अपने अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में संदर्भित) में निम्नलिखित संशोधनों को एतद्वारा जारी किया गया है।

1. नियम 115, उप-नियम 19 के खंड (i) में, "टिप्पणों" में,-

(क) "तालिका 1" के लिए आइटम (12) में निम्नलिखित "तालिका 1" को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका 1

ओबीडी कार्य और सम्बद्ध

क्र.सं.	मॉनिटरिंग आइटम	ओबीडी चरण I (बीएस VI) - 1 अप्रैल, 2020 या उसके बाद निर्मित वाहनों के लिए	ओबीडी चरण II-क (बीएस VI) - 1 अप्रैल, 2023 या उसके बाद निर्मित वाहनों के लिए	ओबीडी चरण II-ख (बीएस VI) - 01 अप्रैल 2025 या उसके बाद निर्मित वाहनों के लिए।
1	सभी उत्सर्जन संबंधित पावर ट्रेन घटक के लिए सर्किट निरंतरता (यदि युक्त हो)	✓	✓	✓
2	सभी उत्सर्जन संबंधित पावर ट्रेन घटक के लिए सर्किट तर्कसंगतता और बुनियादी मॉनिटरिंग आवश्यकता (यदि युक्त हो)	X	✓	✓
3	एमआईएल (खराबी सूचक लैंप) ऑन के बाद तय की गई दूरी	✓	✓	✓
4	इलेक्ट्रॉनिक वाष्पीकरणीय पर्ज नियंत्रण उपकरण का विद्युत कनेक्शन काटना (यदि युक्त हो और सक्रिय हो)	✓	✓	✓
5	उत्प्रेरक कनवर्टर मॉनिटर	X	X	✓
6	ईजीआर दक्षता / प्रवाह मॉनिटरिंग (यदि युक्त हो)	✓	✓	✓
7	खराबी का पता लगाना	X	✓	✓
8	ऑक्सीजन सेंसर खराब होने की मॉनिटरिंग	X	✓	✓
9	निदान प्रणाली मॉनिटरिंग के बाद एनओएक्स (यदि युक्त हो)	X	✓	✓
10	कण फ़िल्टर मॉनिटरिंग (यदि युक्त हो)	X	✓	✓

11	कण द्रव्यमान (पीएम) उत्सर्जन मॉनिटरिंग (यदि युक्त हो)	X	✓	✓
12	ऑन-बोर्ड निदान (ओबीडी) उत्सर्जन सीमा रेखा।	X	✓	✓
13	इन-यूज निष्पादन मॉनिटरिंग - सभी मॉनीटर्स एम के लिए कोई न्यूनतम आईयूपीआरएम नहीं (आईयूपीआर निर्धारण की कार्यक्षमता)	X	✓	✓
14	इन-यूज निष्पादन मॉनिटरिंग - सभी मॉनीटर्स एम के लिए आईयूपीआरएम का मान 0.1 के बराबर या उससे अधिक	X	X	✓

(ख) मद (13) में, मौजूदा विषय के लिए, निम्नलिखित विषय को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

आईयूपीआर को ट्रेक करने के लिए विस्तृत आवश्यकताएं समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 137 में दी गई हैं।

(ग) मद (16) के बाद, मौजूदा "तालिका 2" के लिए, निम्नलिखित "तालिका 2" और "तालिका 3" को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

तालिका 2

बीएस-VI ओबीडी चरण II- क के लिए ऑन-बोर्ड निदान (ओबीडी) उत्सर्जन सीमा रेखा

(1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद निर्मित वाहनों के लिए)

वाहन	डब्ल्यूएमटीसी श्रेणी	सीओ (मिलीग्राम/किमी)	टीएचसी (मिलीग्राम/किमी)	एनओएक्स (मिलीग्राम/किमी)
पीआई वाहन	1, 2-1 और 2-2	2170	1400	350
	3-1 और 3-2	2170	630	450
सीआई वाहन	सभी	2170	630	900

तालिका 3

बीएस-VI ओबीडी चरण II-ख के लिए ऑन-बोर्ड निदान (ओबीडी) उत्सर्जन सीमा रेखा

(1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद निर्मित वाहनों के लिए)

वाहन	डब्ल्यूएमटीसी श्रेणी	सीओ (मिलीग्राम/किमी)	एनएमएचसी (मिलीग्राम/किमी)	एनओएक्स (मिलीग्राम/किमी)	पीएम (मिलीग्राम/किमी)
पीआई वाहन	सभी	1900	250	300	50 ⁽¹⁾
सीआई वाहन	सभी	1900	320	540	50

(1) पीआई इंजनों के मामले में, केवल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजनों युक्त वाहनों पर लागू।

II. (क) नियम 115, उप-नियम 20 में, "तालिका 1" के लिए, निम्नलिखित "तालिका 1" को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका 1

पीआई और सीआई इंजनों से युक्त तिपहिया: बीएस VI

पीआई इंजनों वाले वाहन								
	सीओ (मिलीग्राम/किमी)	एचसी+ एनओएक्स (मिलीग्राम/किमी)	एनओएक्स (मिलीग्राम/किमी)	पीएम (1) (मिलीग्राम/किमी)	ईवीएपी (मिलीग्राम/ परीक्षण)	ओबीडी	स्थिरता माइलेज (किमी) टाइप V	परीक्षण चक्र (टी = 0 सेकंड पर कोल्ड स्टार्ट)
सीमा	440	435	130	25	1500	चरण II	35000	आईडीसी एआईएस
डी.एफ.	1.2	1.2	1.2	1.2	--	--	--	137
(1) पीआई इंजन के मामले में पीएम सीमा केवल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन वाले वाहनों पर लागू होगी और 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी।								

सीआई इंजन से युक्त वाहन							
	सीओ मिलीग्राम /किमी	एचसी+ एनओएक्स मिलीग्राम /किमी	एनओएक्स मिलीग्राम /किमी	पीएम मिलीग्राम /किमी	ओबीडी	स्थिरता माइलेज (किमी) टाइप V	परीक्षण चक्र (टी = 0 सेकंड पर कोल्ड स्टार्ट)
सीमा	220	200	160	25	चरण II	35000	आईडीसी एआईएस 137
डी.एफ.	1.1	1.0	1.0	1.2	--	--	

(ख) नियम 115 में, उप-नियम 20 में, "टिप्पणियों" में, आइटम (14) में, " तालिका 1" और " तालिका 2" के लिए, निम्नलिखित " तालिका 1", " तालिका 2" और " तालिका 3" को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका 1

ओबीडी कार्य और सम्बद्ध

क्र.सं.	मॉनिटरिंग आइटम	ओबीडी चरण I (बीएस VI) - 1 अप्रैल, 2020 या उसके बाद निर्मित वाहनों के लिए	ओबीडी चरण II-क (बीएस VI) - 1 अप्रैल, 2023 या उसके बाद निर्मित वाहनों के लिए	ओबीडी चरण II-ख (बीएस VI) - 01 अप्रैल 2025 या उसके बाद निर्मित वाहनों के लिए।
1	सभी उत्सर्जन संबंधित पावर ट्रेन घटक के लिए सर्किट निरंतरता (यदि युक्त हो)	✓	✓	✓
2	सभी उत्सर्जन संबंधित पावर ट्रेन घटक के लिए सर्किट तर्कसंगतता और बुनियादी मॉनिटरिंग आवश्यकता (यदि युक्त हो)	X	✓	✓
3	एमआईएल (खराबी सूचक लैंप) ऑन के बाद तय की	✓	✓	✓

	गई दूरी			
4	इलेक्ट्रॉनिक वाष्पीकरणीय पर्ज नियंत्रण उपकरण का विद्युत कनेक्शन काटना (यदि युक्त हो और सक्रिय हो)	✓	✓	✓
5	ईजीआर सिस्टम मॉनिटरिंग (यदि युक्त हो)	X	✓	✓
6	खराबी का पता लगाना	X	✓	✓
7	ऑक्सीजन सेंसर खराब होने की मॉनिटरिंग	X	✓	✓
8	निदान प्रणाली मॉनिटरिंग के बाद एनओएक्स (यदि युक्त हो)	X	✓	✓
9	कण फ़िल्टर मॉनिटरिंग (यदि युक्त हो)	X	✓	✓
10	कण द्रव्यमान (पीएम) उत्सर्जन मॉनिटरिंग (यदि युक्त हो)	X	✓	✓
11	ऑन-बोर्ड निदान (ओबीडी) उत्सर्जन सीमा रेखा।	X	✓	✓
12	उत्प्रेरक कनवर्टर मॉनिटरिंग	X	X	✓

तालिका 2

बीएस-VI ओबीडी चरण II- क के लिए ऑन-बोर्ड निदान (ओबीडी) उत्सर्जन सीमा रेखा
(1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद निर्मित वाहनों के लिए)

वाहन	सीओ मिलीग्राम /किमी	एनओएक्स मिलीग्राम /किमी	पीएम मिलीग्राम /किमी
पीआई वाहन	955	758	140 ⁽¹⁾
सीआई वाहन	955	960	140

(1) पीआई इंजनों के मामले में, केवल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन वाले वाहनों पर लागू।

तालिका 3

बीएस-VI ओबीडी चरण II-ख के लिए ऑन-बोर्ड निदान (ओबीडी) उत्सर्जन सीमा रेखा
(1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद निर्मित वाहनों के लिए)

वाहन	सीओ मिलीग्राम /किमी	एनओएक्स मिलीग्राम /किमी	पीएम मिलीग्राम /किमी
पीआई वाहन	880	425	140 ⁽¹⁾
सीआई वाहन	440	300	140

(1) पीआई इंजनों के मामले में, केवल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन युक्त वाहनों पर लागू।

[व्याख्या :- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति,-

- क. "मौजूदा मॉडल" का अर्थ उस वाहन से है जिसके संबंध में मोटर वाहन (____ संशोधन) नियम, 2022 के प्रारंभ होने पर या उससे पहले अधिनियम की धारा 110 ख के तहत एक टाइप-अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी किया गया है;
- ख. "नए मॉडल"का अर्थ उस वाहन से है जिसके संबंध में मोटर वाहन (____ संशोधन) नियम, 2022 के प्रारंभ होने के बाद अधिनियम की धारा 110 ख के तहत एक टाइप-अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी किया गया है।"]

[फा. सं.आरटी-11036/197/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपधारा (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590 (अ), दिनांकित 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि..... (अ), दिनांकितद्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2022

G.S.R. 481(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

- The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;
- Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

- In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), following amendments are hereby issued.

I. In rule 115, sub-rule 19, in clause (i), in the “Notes”,-

(a) in item (12), for the “Table 1”, the following “Table 1” shall be substituted, namely:-

TABLE 1
OBD FUNCTIONS AND ASSOCIATE

Sr. No.	Monitoring Items	OBD Stage I (BS VI) – for vehicles manufactured on or after 1 st April, 2020	OBD Stage II-A (BS VI) - for vehicles manufactured on or after 1 st April, 2023	OBD Stage II-B (BS VI) - for vehicles manufactured on or after 01 st April 2025.
1	Circuit continuity for all emission related power train component (if equipped)	✓	✓	✓
2	Circuit Rationality and Basic monitoring requirement for all emission related power train component (if equipped)	X	✓	✓
3	Distance travelled since MIL (Malfunction indicator lamp) ON	✓	✓	✓
4	Electrical disconnection of Electronic evaporative purge control device (if equipped and if active)	✓	✓	✓
5	Catalytic converter monitoring	X	X	✓
6	EGR efficiency/flow monitoring (if equipped)	✓	✓	✓
7	Misfire Detection	X	✓	✓
8	Oxygen sensor deterioration monitoring	X	✓	✓
9	NOx after-treatment system monitoring (if equipped)	X	✓	✓
10	Particulate filter monitoring (if equipped)	X	✓	✓
11	Particulate Matter (PM) Emission monitoring (if equipped)	X	✓	✓
12	On-Board Diagnostics (OBD) Emission Threshold Limits.	X	✓	✓
13	In-use performance monitoring – No minimum IUPR _M for all monitors M (Functionality of IUPR Determination)	X	✓	✓
14	In-use performance monitoring – IUPR _M greater than or equal to 0.1 for all monitors M	X	X	✓

(b) in item (13), for the existing text, the following text shall be substituted, namely:-

Detailed requirements for tracking IUPR are given in AIS 137 as amended from time to time.

(c) After item (16), for the existing “Table 2”, the following “Table 2” and “Table 3” shall be substituted, namely:—

TABLE 2

ON-BOARD DIAGNOSTICS (OBD) EMISSION THRESHOLD LIMITS FOR BSVI OBD STAGE II-A
(FOR VEHICLES MANUFACTURED ON OR AFTER 1ST APRIL 2023)

Vehicle	WMTC Class	CO (mg/km)	THC (mg/km)	NOx (mg/km)
PI vehicles	1, 2-1 & 2-2	2170	1400	350
	3-1 & 3-2	2170	630	450
CI vehicles	All	2170	630	900

TABLE 3

ON-BOARD DIAGNOSTICS (OBD) EMISSION THRESHOLD LIMITS FOR BSVI OBD STAGE II-B
(FOR VEHICLES MANUFACTURED ON OR AFTER 01ST APRIL 2025)

Vehicle	WMTC Class	CO (mg/km)	NMHC (mg/km)	NOx (mg/km)	PM (mg/km)
PI vehicles	All	1900	250	300	50 ⁽¹⁾
CI vehicles	All	1900	320	540	50

⁽¹⁾ In case of P.I. engines, applicable only to vehicles with Direct Injection engines.

II. (a) In rule 115, sub-rule 20, for the “Table 1”, the following “Table 1” shall be substituted, namely:—

TABLE 1

THREE WHEELERS FITTED WITH PI AND CI ENGINES: BS VI

Vehicle with PI engines								
	CO mg/km	HC+NOx mg/km	NOx mg/km	PM ⁽¹⁾ mg/km	EVAP mg/test	OBD	Durability mileage (km) Type V	Test Cycle (Cold Start at T=0 sec)
Limit	440	435	130	25	1500	Stage II	35000	IDC AIS137
D.F.	1.2	1.2	1.2	1.2	--	--	--	
⁽¹⁾ PM limit in case of PI engines shall be applicable only to vehicles with Direct Injection engines and shall be applicable from 1 st April 2023.								

Vehicle with CI engines							
	CO mg/km	HC+NOx mg/km	NOx mg/km	PM mg/km	OBD	Durability mileage (km) Type V	Test Cycle (Cold Start at T=0 sec)
Limit	220	200	160	25	Stage II	35000	IDC AIS137

D.F.	1.1	1.0	1.0	1.2	--	--	
------	-----	-----	-----	-----	----	----	--

(b) In rule 115, sub-rule 20, in the “Notes”, in item (14), for the “Table 1” and “Table 2”, the following “Table 1”, “Table 2” and “Table 3” shall be substituted, namely:–

TABLE 1
OBD FUNCTIONS AND ASSOCIATE

Sr. No.	Monitoring Items	OBD Stage I (BS VI)- for vehicles manufactured on or after 1 st April, 2020	OBD Stage II-A (BS VI)- for vehicles manufactured on or after 1 st April 2023	OBD Stage II-B (BS VI)- for vehicles manufactured on or after 1 st April 2025
1	Circuit continuity for all emission related power train component (if equipped)	✓	✓	✓
2	Circuit Rationality and basic monitoring requirement for all emission related power train component (if equipped)	X	✓	✓
3	Distance travelled since MIL (Malfunction indicator lamp) ON	✓	✓	✓
4	Electrical disconnection of electronic evaporative purge control device (if equipped and if active)	✓	✓	✓
5	EGR system monitoring (if equipped)	X	✓	✓
6	Misfire detection	X	✓	✓
7	Oxygen sensor deterioration monitoring.	X	✓	✓
8	NOx after treatment system monitoring (if equipped)	X	✓	✓
9	Particulate Filter monitoring (if equipped)	X	✓	✓
10	Particulate Matter (PM) emission monitoring (if equipped)	X	✓	✓
11	On-Board Diagnostics (OBD) Emission Threshold Limits.	X	✓	✓
12	Catalytic converter monitoring	X	X	✓

TABLE 2
ON-BOARD DIAGNOSTICS (OBD) EMISSION THRESHOLD LIMITS FOR BS-VI OBD STAGE II-A
(FOR VEHICLES MANUFACTURED ON OR AFTER 1ST APRIL 2023)

Vehicle	CO mg/km	NOx mg/km	PM mg/km
PI vehicles	955	758	140 ⁽¹⁾
CI vehicles	955	960	140

⁽¹⁾ In case of PI engines, applicable only to vehicles with Direct Injection engines.

TABLE 3

**ON-BOARD DIAGNOSTICS (OBD) EMISSION THRESHOLD LIMITS FOR BS-VI OBD STAGE II-B
(FOR VEHICLES MANUFACTURED ON OR AFTER 1ST APRIL 2025)**

Vehicle	CO mg/km	NOx mg/km	PM mg/km
PI vehicles	880	425	140 ⁽¹⁾
CI vehicles	440	300	140

⁽¹⁾ In case of PI engines, applicable only to vehicles with Direct Injection engines

[Explanation: - For the purpose of this clause the expression,-

- a. “existing model” means the vehicle in respect of which a type-approval certificate has been issued under section 110 B of the Act, on or before the commencement of the Motor Vehicles (____Amendment) Rules,2022;
- b. “new model’ means the vehicle in respect which a type-approval certificate has been issued under section 110 B of the Act after the commencement of the Motor Vehicles (____Amendment) Rules, 2022.”]

[F. No. RT-11036/197/2021-MVL]
AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2ndJune, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. ____ (E) dated ____.